

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अंराई (अजमेर)

1. पंचुराम पुत्र रामलाल जाति जाट उम्र करीब 68 वर्ष निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई, जिला अजमेर राज0 वादी

बनाम

2. धूकल पुत्र गोडा जाति जाट सर्वनिवासी ग्राम आकोडिया तहसील अंराई, जिला अजमेर राज0 वगै प्रतिवादी

किस्म मुकदमा- भूराजस्व.अधिनियम.1956 धारा 131,136

नंबर 41/2021

ऑनलाइन नंबर 2020 /

वकील वादीगण फरहान हनफी

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2021	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री संलमा सुल्ताना ने अन्तर्गत भूराजस्व.अधिनियम.1956 धारा 131,136 के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 13.07.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
13.07.2021	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी फरहान हनफी अप. मपार्थी संख्या 1 लगायत 9 के तामिलयुक्त नोटिफिकेशन शामिल मिलता मपार्थी सं. 1 धूकल अप. डेकट जवाब हेतु समय-चाला P.O. सा. 20/9/2021 को पेश हो। मुकाम	
20/9/2021	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व मपार्थी अतु। फरि अडिशा मुफ्त वान्त जवाब पत्रावली दिनांक 20/9/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
20/9/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब मुजब कर्तव्य/राजकार्य/दौरे/अपस्थिति पर धारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार जवाब दिनांक 11/11/2021 को पेश हो।	

पत्रवारी रिपोर्ट

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-20...21

①

श्री मानजी,

- मुताबिक बेग्री गिरान नबवा लोकपाल खसरा
- 2434/1653 के खसरा नं 686 में नबवा अखुद्वि होने के
- गत राजकव नबवा लोकपाल खसरा 2026 में ख.नं 9693
- का मानपिन नबवानुसार नहीं है, अतः बेग्री गिरान नबवा
- शील में ख.नं 2434/1653 की आकृति गत राजकव नबवा
- लोकपाल ख.नं 9693 के अनुसार कुछ किया जाना उचित है।

6/10/21
 तहसीलदार (भू.अ.)
 अराई (अजमेर)

6/10/21
 उपखण्ड अधिकारी

6/10/2021
 पं. अ. अ. अ.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-20...21

पत्रावली शबखान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के मोदेश पं.12(2) राज-
 /2020 दिनांक 24.07.2021 की पालना में नियत तिथी से पूर्व खसरा बीजाफर
 दिनांक 06.10.2021 के केम्प कोर्ट अजमेर में पेश की अखुद्वि में पत्रावली
 राजस्व रिकॉर्डिंग व तहसीलगत अराई की तरफ से सलमत है। अतः अजमेर
 आम केम्प कोर्ट अजमेर में वषी का वाड स्वीकार किया जाता है। तहसील
 रिपोर्ट क्र. 1 संलग्न नक्शा क्र. 2 व नकल नक्शा क्षेत्र क्र. 3 अन्तिम फंसले
 का भाग होगा। तहसीलगत अराई को मोदेशित किया जाता है कि वे
 उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर आवश्यक कार्यवाही करें। पत्रावली
 अजमेर आम केम्प कोर्ट अजमेर में अखुद्वि नबवा से कम हो

6/10/21
 उपखण्ड अधिकारी
 अराई (अजमेर)

खसरा नं 1657 जो अपरार्थी संख्या 1
 को आराजी में जोड़ दिया गया जो की एक चुटी है। जिसे

पंच